

24/11/18 पत्रावली पैरा 305 / वादी / प्रतिवादी
 अनु. 1 पत्रावली के दो बार
 से वादी उप नदी है, अतः
 पत्रावली अधिनियम परी अधिनियम
 खारिज की जाती है।